

**न्यायालय :-प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट**  
**शृंखला न्यायालय-बैहर**  
**(पीठासीन अधिकारी-वाचस्पति मिश्र)**

नियमित व्यवहार अपील क्र.-07/2017  
संस्थित दिनांक - 30.04.2015  
फाईलिंग नंबर-आर.सी.ए./71/2017

देवीप्रसाद सोनी आयु 65 वर्ष, पिता स्व० रामदास सोनी  
जाति सुनार, निवासी वार्ड नं. 10 बस्तीरोड बैहर,  
तहसील बैहर, जिला बालाघाट - - - - अपीलार्थी / वादी

- // विरुद्ध // -

- 1- राकेश कुमार उम्र 43 वर्ष, पिता स्व. रामभाउ जाति ब्राम्हण
- 2- कौशल कुमार आयु 41 वर्ष, पिता स्व. रामभाउ जाति ब्राम्हण
- 3- लक्ष्मण कुमार आयु 39 वर्ष, पिता स्व. श्री रामभाउ जाति ब्राम्हण
- 4- संतोष कुमार आयु 33 वर्ष पिता स्व. श्री रामभाउ जाति ब्राम्हण
- 5- माया बाई आयु 36 वर्ष, पिता स्व० रामभाउ जाति ब्राम्हण
- 6- गीता बाई आयु 70 वर्ष पति स्व. रामभाउ जाति ब्राम्हण  
सभी निवासी जिन्दल स्टील एवं पॉवर लिमिटेड  
पत्रापाली (पश्चिम) रायगढ़, तहसील व जिला रायगढ़ (छ.ग.)
- 7- महेश ठाकरे आयु 38 वर्ष पिता कपूरचंद जाति पंवार  
निवासी-पौनी (मलाजखंड) तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 8- भीकमसिंह बिसेने आयु 40 वर्ष पिता स्व०. नानाजी बिसेन  
निवासी-चकरवाही, तहसील बैहर, जिला बालाघाट
- 9- श्री एम.एस.मसराम पिता नामालुम लिपिक,  
उपपंजीयक कार्यालय बैहर, तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 10- अतिरिक्त तहसीलदार, तहसील कार्यालय बिरसा,  
तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 11- मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला बालाघाट
- 12- कपूरचंद मरठे आयु 35 वर्ष, पिता भैयालाल मरठे  
निवासी बंजारीटोला वार्ड नं. 8 तहसील बैहर  
जिला बालाघाट - - - प्रत्यर्थी गण / प्रतिवादी गण

=====

{न्यायालय:- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री सिराज अली द्वारा व्य.वाद क्रमांक 38अ/2014देवी प्रसाद सोनी विरुद्ध राकेश कुमार व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.15 से उद्भूत होकर धारा 96 व्य.प्र.सं. के तहत अपील पेश की है}

=====

श्री पी.एन.शुक्ला अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।  
श्री वाय.आर.चौधरी अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्र. 1 से एवं 8 से 12  
श्री आर.एस.बिसेन अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्रमांक 7

=====

- / / / निर्णय / / / -

(आज दिनांक 26 अप्रैल 2018 को घोषित)

1. अपीलार्थी/वादी ने यह नियमित व्यवहार अपील अंतर्गत धारा 96 सी.पी.सी. के अधीन न्यायालय:- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री सिराज अली द्वारा पारित व्यवहार वाद क्रमांक 38अ/2014 देवीप्रसाद सोनी विरुद्ध राकेश कुमार व अन्य में पारित निर्णय एवं आज्ञापति दिनांक 30.03.2015 से अपीलार्थी/वादी का वाद वादग्रस्त भूमियों के संबंध में स्थित ग्राम पौनी जिसका वर्णन वादपत्र की कंडिका 3 में किया गया है, निरस्त किए जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत है।

2. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल वाद का सार यह है कि विवादित भूमि प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 लगायत 6 के स्वामित्व की है जिस पर प्रतिवादीगण कभी भी काबिज नहीं रहे हैं। विवादित भूमि वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 5 के पिता एवं प्रतिवादी क्रमांक 6 के पति स्वर्गीय श्री रामभाऊ द्वारा कभी कास्त नहीं गई और न कब्जा रहा। प्रतिवादी क्रमांक 7 ने दिनांक 02.06.2011 को वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 49/16 रकबा 0.20/0.081 हेक्टेयर हक भूमिस्वामी, मौजा पौनी प.ह.न. 43 का विक्रय पत्र अपने पक्ष में विधि विपरीत ढंग से करवाया है जो कि धारा 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत शून्य है। प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 एवं 8 वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 212/3 में से रकबा 0.02 के भूमिस्वामी मौजा पौनी का विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2011 को अपने पक्ष में करा लिया जो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 के उल्लंघन में होने से शून्य है तथा प्रतिवादी क्रमांक 12 आवश्यक पक्षकार है।

3. वादग्रस्त भूमि के अलावा 0.20 डिसमिल भूमि पर निर्मित मकान हातावाड़ी पर भी वादी/अपीलार्थी का करीब 30 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। वादी ने स्वयं प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 के पिता एवं प्रतिवादी क्रमांक 6 के पति स्व. रामभाऊ के नाम खरीद कर रजिस्ट्री कराई थी। विवादित भूमि में विक्रय पत्र दिनांक 04.06.2010, 01.06.2011 एवं दिनांक 02.06.2011 प्रभावशून्य

घोषित किये जाने, विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की घोषणा किए जाने, राजस्व न्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2010 को प्रभाव शून्य घोषित किये जाने तथा प्रतिवादी क्रमांक 7, 8 एवं 12 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने की प्रार्थना की है।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 6 ने अपने जवाब में वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन को इंकार किया है। आगे यह अभिवचन किया गया है कि रामभाऊ का बैहर तहसील के अतिरिक्त रायगढ़ जिले में भी भूमि एवं व्यवसाय होने के कारण सभी जगह आना जाना होता था। विवादित भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 7 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित कर हस्तांतरण किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 9 ने विक्रय पत्र का विधिवत् पंजीयन किया है। वादी को उक्त वाद बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 1988 के उल्लंघन में होने से वाद प्रस्तुति हेतु विधिक हक नहीं है।

5. प्रतिवादी क्रमांक 7 एवं 8 ने अपने पृथक्-पृथक् जवाब पेश कर वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन से इंकार कर अभिवचन किया है कि विवादित भूमि का प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 ने प्रतिवादी क्रमांक 8 के पक्ष में मुख्यतयारनामा निष्पादित किया था, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 8 ने मुख्यतयार के रूप में विवादित भूमि का प्रतिवादी क्रमांक 7 के पक्ष में विधिवत् विक्रय-पत्र निष्पादित किया गया है। उक्त विक्रय पत्र के अनुसार विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 7 ने कब्जा प्राप्त किया है तथा वादी का वाद सव्यय निरस्त किए जाने की याचना की है।

6. प्रतिवादी क्रमांक 9 एवं 10 ने अपने जवाब में संपूर्ण अभिवचन को इंकार किया है। वादी को विक्रयपत्र को एवं नामांतरण कार्यवाही को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। विशेष कथन में बताया है कि प्रतिवादी क्रमांक 9 उप पंजीयक है और प्रतिवादी क्रमांक 10 द्वारा न्यायालयीन क्षेत्राधिकार में अतिरिक्त तहसीलदार है। प्रतिवादी क्रमांक 10 के आदेश के विरुद्ध अपील न होने से धारा 257 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता लागू होती है, वादी का वाद सव्यय निरस्त किए जाने की याचना की है।

7. प्रतिवादी क्रमांक 12 ने अपने जवाब में वाद के संपूर्ण अभिवचन को इंकार किया है, विवादित भूमि के खसरा क्रमांक 212/3 में 0.02 डिसमिल भूमि को प्रतिफल अदा कर प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 के मुख्यतयार के प्रतिवादी क्रमांक 8 से विक्रय पत्र निष्पादित कराकर क्रय किया गया है। विशेष कथन

व्यक्त किया है कि वादी ने मात्र प्रतिवादी को परेशान करने की नियत से पक्षकार बनाया है, वाद निरस्त किए जाने की याचना की है।

8. प्रतिवादी क्रमांक 11 की मामले में अनुपस्थिति होने पर एकपक्षीय कार्यवाही हुई है, उसकी ओर से कोई कथन पेश नहीं किया है।

9. अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त अभिवचन के आधार पर वादपत्र निर्मित कर, उभयपक्ष की साक्ष्य अभिलिखित कर तथा तर्क श्रवण कर आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत है।

10. अपील का आधार यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने वादप्रश्न क्रमांक 1 को प्रमाणित न मानकर त्रुटि की है। दस्तावेजों एवं मौखिक की ओर ध्यान नहीं दिया है। वादप्रश्न क्रमांक 1 के बिंदु पर दस्तावेजों एवं साक्ष्य की त्रुटिपूर्ण विवेचना की है। वादप्रश्न क्रमांक 2, वादप्रश्न क्रमांक 3, वादप्रश्न क्रमांक 4 एवं वादप्रश्न क्रमांक 5 को अप्रमाणित मानकर त्रुटि की है। धारा 27 परिसीमा अधिनियम एवं आर्टिकल 65 परिसीमा अधिनियम को समझने में त्रुटि की है। आधिपत्य के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया है तथा विचारण न्यायालय ने विधि और अभिलेख के परे जाकर पारित निर्णय व आज्ञा अपास्त किए जाने की याचना की है।

**अवधार्य प्रश्न यह है कि :-**

*क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 30.03.2015 विधि के विपरीत होने से हस्तक्षेप योग्य है ?*

**अवधार्य प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निकर्ष :-**

11. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने यह तर्क किया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम की धारा 27 एवं आर्टिकल 65 का विधि के विपरीत अर्थान्वयन किया है। यह आधार लिया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी/अपीलार्थी द्वारा 12 वर्षों से अधिक समय से शांतिपूर्ण, लगातार आधिपत्य है तथा होस्टाइल एनीमस भी मौजूद है। यह भी आधार लिया गया है कि वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में उसके द्वारा टैक्स भी अदा किया गया है। उपरोक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को आक्षेपित किया गया है।



12. इसके विपरीत प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के समर्थन में प्रबल तर्क किया है।

13. अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। सर्वप्रथम प्रतिकूल कब्जे के संबंध में विधिक स्थिति की समीक्षा किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। उक्त संदर्भ में **S.M.Karim v/s Mst.Bibi Sakina AIR 1964 SC 1254** में वर्णित मार्गदर्शन अवलोकनीय है :— Inquiry into the particulars of Adverse possession: Inquiry into the starting point of adverse possession i.e. dates as to when the paper owner got dispossessed is an important aspect to be considered. In the instant case the starting point of adverse possession and other facts such as the manner in which the possession operationalized, nature of possession: whether open, continuous, uninterrupted or hostile possession- have not been disclosed. An observation has been made in this regard in **S.M. Karim v. Mst. BiBi Sakina [AIR 1964 SC 1254]** : " Adverse possession must be adequate in continuity, in publicity and extent and a plea is required at the least to show when possession becomes adverse so that the starting point of limitation against the party affected can be found. There is no evidence here when possession became adverse. if it at all did. and a mere suggestion in the relief clause that there was an uninterrupted possession for "several 12 years" or that the plaintiff had acquired" an absolute title" was not enough to raise such a plea. Long possession is not necessarily adverse possession and the prayer clause is not a substitute for a plea.

14. उक्त संदर्भ में **Karnataka Board of Wakf Vs. Government of India and Others {(2004) 10 SCC 779}** in the following terms: अवलोकनीय है — " Physical fact of exclusive possession and the animus possidendi to hold as owner in exclusion to the actual owner are the most important factors that are to be accounted in cases of this nature. Plea of adverse possession is not a pure question of law but a blended one of fact and law. Therefore, a person who claims adverse possession should show: (a) on what date he came into possession.

(b) What was the nature of his possession, (c) whether the factum of possession was known to the other party, (d) how long his possession has continued, and (e) his possession was open and undisturbed. A person pleading adverse possession has no equities in his favour. Since he is trying to defeat the rights of the true owner, it is for him to clearly plead and establish all facts necessary to establish his adverse possession".

It is important to appreciate the question of intention as it would have appeared to the paper owner. The issue is that intention of the adverse user gets communicated to the paper owner of the property. This is where the law gives importance to hostility and openness as pertinent qualities of manner of possession. It follows that the possession of the adverse possessor must be hostile enough to give rise to a reasonable notice and opportunity to the paper owner.

15. उक्त संबंध में **P.T. Munichikkanna Reddy & Others V/s Revamma & Others** निर्णय दिनांक 24.04.2007 में प्रतिकूल कब्जे के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया है। उपर्युक्त रिसियों के परिप्रेक्ष्य में वादी/अपीलार्थी के मामले की सूक्ष्म संवीक्षा की गई है।

16. वादी/अपीलार्थी देवीप्रसाद सोनी ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 212/1, 212/3, 213/2, 49/16 पर उसका 30 वर्ष से अधिक समय से लगातार शांतिपूर्ण कब्जा है तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उसे स्वत्व प्राप्त है। यह भी स्पष्ट किया है कि वादग्रस्त भूमि के 0.20 डिसमिल एरिया पर मकान निर्मित है, तथा 30X30 वर्गफिट एरिया पर बंजारी माई का धार्मिक स्थल है। यह भी व्यक्त किया है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में दिनांक 15.04.08 को स्थानीय पंचायत द्वारा उसके आधिपत्य के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया गया था, वादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थी एवं उसके पूर्वजों को कभी कोई कब्जा नहीं दिया गया। वादी/अपीलार्थी ने यह भी व्यक्त किया है कि स्थानीय अतिरिक्त तहसीलदार बिरसा ने वादग्रस्त भूमि पर वादी के कब्जे के विपरीत त्रुटिपूर्ण ढंग से प्रत्यर्थीगण के पक्ष में नामांतरण कार्यवाही की गई, जो वादी/अपीलार्थी पर बंधनकारी नहीं है तथा तहसीलदार बैहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.10 भी विधि विपरीत है। साक्षी ने आगे यह भी व्यक्त किया है कि वादग्रस्त भूमि को प्रत्यर्थीगण ने आगे प्रत्यर्थी क्रमांक 7 के पक्ष में अवैध अंतरण किया है लेकिन अपीलार्थी/वादी ने जिरह के पैरा 7 में स्पष्ट किया है कि वादग्रस्त भूमि मृतक रामभाऊ के नाम पर राजस्व प्रपत्रों में पूर्व से अंकित थी। इस साक्षी ने आगे यह स्पष्ट किया है कि मृतक रामभाऊ की मृत्यु के पश्चात उसके वारसान का फौती नामांतरण किया गया था। यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त समय वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को राजस्व न्यायालय ने निरस्त किया था। साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवर राजस्व

न्यायालय द्वारा पारित उक्त निरस्तगी आदेश के विरुद्ध कोई अपील संस्थित नहीं किया जाना स्वीकार किया है। साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि रामभाऊ के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि के संबंध में नामांतरण आवेदन संस्थित नहीं किया था। साक्षी ने जिरह में यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर महेश ने कब्जा प्राप्त कर उस पर सुधार कर जे.सी.बी. मशीन चलाकर समतल करा लिया है।

17. विवादित भूमि पर वादी/अपीलार्थी के कब्जे के संबंध में रमेश पटले ने फार्मल रूप से कथन किया है लेकिन उक्त साक्षी ने जिरह के पैरा क्रमांक 12 में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर स्थित मकान में पशु चिकित्सालय स्थित था लेकिन साक्षी ने उक्त पशु चिकित्सालय मृतक रामभाऊ द्वारा किराये से देने और शासन से किराया प्राप्त करने के संबंध में अज्ञान दर्शाया है। साक्षी ने जिरह में आगे यह स्पष्ट किया है कि उसने विवादित दस्तावेज प्रपी.4 पर मात्र किराएदार होने के आधार पर हस्ताक्षर किया है। इस साक्षी ने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर वर्तमान में महेश ठाकरे द्वारा जे.सी.बी. मशीन से समतल कर सुधार कार्य किया गया है अर्थात् वादग्रस्त भूमि पर वादी/अपीलार्थी का कब्जा होने के संबंध में इस साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

18. वादी/अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर लंबे समय से कब्जा होने के संबंध में अभिवचन किया है लेकिन तत्संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व प्रपत्र अथवा खसरा पंचसाला अभिलेख पर समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें कि राजस्व प्रपत्रों में उसका कब्जा दर्ज हो। जहां तक कर से संबंधित रसीदों का प्रश्न है उक्त रसीदें मात्र वित्तीय उद्देश्य के लिये संधारित की जाती हैं एवं उक्त आधार पर वादग्रस्त भूमि पर वादी/अपीलार्थी के पक्ष में कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

19. इसके विपरीत प्रत्यर्थी महेश ठाकरे ने व्यक्त किया है कि उसका वादग्रस्त भूमि पर स्वामित्व है जो कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 लगायत 6 से जरिए रजिस्ट्री कर कर वैधानिक आधिपत्य प्राप्त किया है। साक्षी ने आगे यह स्पष्ट किया है कि उक्त विक्रय पत्र प्रत्यर्थी क्रमांक 1 लगायत 6 के मुख्यार आम के माध्यम से साक्षी के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है। साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सर्वे क्रमांक 49/16 रकवा 0.20 को कर किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर से कर हेतु अनुमति भी प्राप्त की

गई है। प्रत्यर्थी महेश ठाकरे के बयान में यह आया है कि मौजा पौनी में 4.14 एकड़ भूमि साक्षी महेश द्वारा वादग्रस्त भूमि के स्वामी मृतक रामभाउ के वारिसान से जरिए रजिस्ट्री अंतरण पर प्राप्त कर कब्जा लिया गया है। आगे यह बताया है कि उसने मृतक रामभाउ के वारिसान के मुख्त्यार से खसरा क्रमांक 212/3 के रकबा 0.02 डिसमिल दिनांक 01.06.2011 को जरिए रजिस्ट्री कर कर आधिपत्य प्राप्त किया गया था। यह साक्षी जिरह में स्थिर है अर्थात् प्रत्यर्थी साक्षी महेश ठाकरे एवं कपूरचंद मराठे की जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे कि वादी/अपीलार्थी को कोई लाभ मिलता हो। प्रत्यर्थी साक्षी के बयान का मिलान साक्षी भीकम सिंह मुख्त्यार के बयान से होता है।

20. साक्षी भीकम सिंह ने यह व्यक्त किया है कि उसे मृतक रामभाउ के वैध वारिसान राकेश ने विधिवत अपना आम मुख्त्यार नियुक्त किया था तथा वादग्रस्त जमीन के संबंध में अंतरण किए जाने हेतु अधिकार सौंप दिया था। आगे व्यक्त किया है कि आम मुख्त्यार की हैसियत से खसरा नंबर 212/1, 213/2 विधिवत दो लाख रूपया प्रतिफल प्राप्त कर महेश ठाकरे के पक्ष में अंतरित किया गया है तथा कब्जा प्रदान किया गया है। यह भी बताया गया है कि खसरा क्रमांक 49/16 के अंश भाग 0.020 एकड़ के संबंध में विक्रय मूल्य सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर से अनुबंध पर प्राप्त की गई है। तत्पश्चात् महेश ठाकरे के पक्ष में वैध अंतरण किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया जाना बताया है।

21. उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी/अपीलार्थी पक्ष से प्रतिकूल कब्जे के संबंध में न्यायदृष्टांत :- **S.M. Karim v. Mst. BiBi Sakina [AIR 1964 SC 1254 ], Karnataka Board of Wakf Vs. Government of India and Others {(2004) 10 SCC 779} & P.T. Munichikkanna Reddy & Others V/s Revamma & Others Supra** के अनुसार अपना मामला प्रमाणित नहीं किया है। वादी/अपीलार्थी के वादपत्र के अंतर्गत इस आशय का कोई अभिवचन नहीं किया गया है कि प्रथम बार वादग्रस्त भूमि पर उसका आधिपत्य कब उत्पन्न है। उक्त संबंध में Date of adverse possession का कोई खुलासा नहीं किया गया है। इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण का मामला अधिक संभाव्य है। वादी/अपीलार्थी की तुलना में वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण की साक्ष्य अधिक विश्वसनीय है, जो कि दस्तावेजी साक्ष्य



से समर्थित है जिसका कि कोई खंडन अपीलार्थी/वादी पक्ष से नहीं किया गया है।

22. जैसा कि पूर्व में विवेचन किया गया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सीधे टाईटल का वाद संस्थित नहीं किया जा सकता, अपितु उसका उपयोग बचाव के रूप में किया जा सकता है। उक्त संबंध में निम्न न्यायदृष्टांत अवलोकनीय है :-

In view of the Judgment of the supreme court in the matter of Gurudwara Sahib Vs. Gram panchyat Village Sirthala reported in 2914 (3) MPLJ 36 such a suit for declaration of title on the basis of plea of adverse possession is not maintainable.

23. वादी/अपीलार्थी पक्ष ने यह भी अभिवचन किया है कि वादग्रस्त भूमि वादी/अपीलार्थी ने मृतक रामभाऊ प्रत्यर्थी के पूर्वजों के नाम कर रजिस्ट्री निष्पादित करायी गई थी। यह कहा गया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थी के पूर्वज रामभाऊ का पूर्व में कभी कब्जा नहीं था। वादी/अपीलार्थी पक्ष से प्रस्तुत उक्त अभिवचन उसके विरुद्ध जाता है, चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में बेनामी ट्रांसेक्शन एक्ट 1988 आकर्षित होता है।

24- **THE BENAMI TRANSACTIONS (PROHIBITION) ACT, 1988 :**

**4. Prohibition of the right to recover property held benami-** (1) No suit, claim or action to enforce any right in respect of any property held benami against the person in whose name the property is held or against any other person shall lie by or on behalf of a person claiming to be the real owner of such property.

(2) No defence based on any right in respect of any property held benami, whether against the person in whose name the property is held or against any other person, shall be allowed in any suit, claim or action by or on behalf of a person claiming to be the real owner of such property.

25. उक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी/अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दावा निरस्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अतः वादी/अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की पुष्टि की जाती है।

- {अ} उभयपक्ष का अपील व्यय अपीलार्थी/वादी वहन करेगा।  
{ब} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।  
{स} तदनुसार डिक्री बनायी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर मुद्रित।

दिनांक :: 26 अप्रैल 2018

Sd/-

(वाचस्पति मिश्र)

प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,  
श्रृंखला न्यायालय बैहर  
जिला-बालाघाट

## DECREE IN APPEAL FROM ORIGINAL DECREE

(Civil Procedure Code, 1908, Order XLI, Rule 35)

CIVIL APPEAL No. **RCA / 07 OF 2017**

IN THE COURT OF **वाचस्पति मिश्र, प्र.अ.जि.न्या.बालाघाट**  
**श्रृंखला न्यायालय- बैहर**

=====

देवीप्रसाद सोनी आयु 65 वर्ष, पिता स्व० रामदास सोनी  
निवासी वार्ड नं. 10 बैहर, जिला बालाघाट — — — **अपीलार्थी / वादी**  
— // **विरुद्ध** // —

- 1— राकेश कुमार उम्र 43 वर्ष, पिता स्व. रामभाउ जाति ब्राम्हण
- 2— कौशल कुमार आयु 41 वर्ष, पिता स्व. रामभाउ जाति ब्राम्हण
- 3— लक्ष्मण कुमार आयु 39 वर्ष, पिता स्व. श्री रामभाउ जाति ब्राम्हण
- 4— संतोष कुमार आयु 33 वर्ष पिता स्व. श्री रामभाउ जाति ब्राम्हण
- 5— माया बाई आयु 36 वर्ष, पिता स्व० रामभाउ जाति ब्राम्हण
- 6— गीता बाई आयु 70 वर्ष पति स्व. रामभाउ जाति ब्राम्हण  
सभी निवासी जिन्दल स्टील एवं पॉवर लिमिटेड रायगढ़ (छ.ग.)
- 7— महेश ठाकरे आयु 38 वर्ष पिता कपुरचंद जाति पंवार निवासी-पौनी
- 8— भीकमसिंह बिसेने आयु 40 वर्ष पिता स्व०. नानाजी बिसेन  
निवासी-चकरवाही, तहसील बैहर, जिला बालाघाट
- 9— श्री एम.एस.मसराम पिता नामालुम लिपिक, उपपंजीयक कार्यालय बैहर
- 10— अतिरिक्त तहसीलदार, कार्यालय बिरसा, तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 11— मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला बालाघाट
- 12— कपूरचंद मरठे आयु 35 वर्ष, पिता भैयालाल मरठे  
निवासी बंजारीटोला जिला बालाघाट— — **प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण**

=====

Appeal from the decree of the Court व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर जिला बालाघाट dated the 30 day 03-2015 Civil Suit No. 38A of 2014.

This appeal coming on for hearing on the 23day of App. 2018 before me in the presence of-

श्री पी.एन. शुक्ला अधिवक्ता .for the appellant and of  
श्री वाय.आर. चौधरी अधिवक्ता .for the respondent No. 1 to 6 & 12  
श्री आर.आर. बिसेन अधिवक्ता for the respondent No. 7

It is ordered and decreed that -

वादी/अपीलार्थी द्वारा ग्राम पौनी स्थित वादग्रस्त भूमि जिसका उल्लेख वादपत्र की कंडिका 3 में किया गया है, के संबंध में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की पुष्टि की जाती है।

- {अ} उभयपक्ष का अपील व्यय अपीलार्थी वहन करेगा।
- {ब} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।
- {स} तदनुसार डिक्री बनायी जावे।

The costs of this appeal, as detailed below amounting to Rupees 40 /- are to be Paid by the **Appellants.**

~~The cost of the original suit be paid by the~~

Given under my hand and the seal of the Court, this **26 day of April. 2018.**

Sd/-

**(वाचस्पति मिश्र)**

प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
शृंखला न्यायालय बैहर

### **COSTS OF APPEAL**

	Appellant	Amount	Respondent	Amount
1.	Stamp for memorandum of appeal objections or Petitions	660.00	Stamp for Power	40.00
2.	Stamp for Power	20.00	Stamp for Petition	-
3.	Stamp for Exhibits		Service of Processes	-
4.	Service of Processes	90.00	Pleader's fee on Rs. .... (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	-
5.	Pleader's Fee on Rs..... (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	-		
6.	Application & Affidavite	10.00		
	<b>Total :-</b>	780.00	<b>Total :-</b>	40.00
(सात सौ अस्सी रुपए मात्र )			(चालीस रुपए मात्र )	

Sd/-

**(वाचस्पति मिश्र)**

प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
शृंखला न्यायालय बैहर